न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 27 / 2017

श्री मनोहर सिंह पुत्र परमा जाति जाट निवासी ग्रांम पास्ता तहसील डीग

.......प्रार्थी

बनाम

1—मुरारीसिंह पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग जिला भरतपुर
2—भीमसिंह पुत्र प्यार जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग जिला भरतपुर
3—भजनलाल उर्फ कुनल पुत्र परमा जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग
4—रतनसिंह पुत्र परमा जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग जिला भरतपुर
5—प्रेमचंद पुत्र परमा जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग जिला भरतपु
6—नवल सिंह पुत्र परमा जाति जाट निवासी पास्ता तहसील डीग

......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली उपखण्ड अधिकारी डीग श्री दुलीचंद मीणा बाबत प्रकरण मनोहर बनाम मुरारी नम्बर 115 / 16

निर्णय दिनांक 27.11.2017

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान इस आशय का पेश किया गया है संक्षेप में इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण एसडीओ डीग के न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी. ने धमकी दी है कि प्रकरण को अपने पक्ष में निर्णय करायेगा। उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाब बताते हुये प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दे रहे हैं। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डीग के न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। उपखण्ड अधिकारी डीग के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी डीग से टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी के अभिभाषक पंकज कुमार एवं अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट हनुमानप्रसाद गोयल उपस्थित। एस.डी.ओ. डीग से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 22.9.2017 शामिल पत्रावली की गई।
अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

......2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ.डीग से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में अंकित आरोपों की ताईद में प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डीग को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official